

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य मिशन निदेशक(अमृत-2.0),  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 01 फरवरी, 2023

**विषय:** अमृत-2.0 योजनान्तर्गत जनपद-मुरादाबाद में नगर निगम मुरादाबाद पेयजल पुनर्गठन योजना से संबंधित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक राज्य मिशन निदेशक (अमृत-2.0), नगरीय निकाय निदेशालय के पत्र संख्या- एसएमएमयू/8195/413(4)/2022, दिनांक 01.12.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया **अमृत-2.0 योजनान्तर्गत जनपद-मुरादाबाद में नगर निगम मुरादाबाद पेयजल पुनर्गठन योजना** से संबंधित प्रायोजना की अनुमोदित लागत रू० 10343.38 लाख (जी०एस०टी० एवं सेन्टेज सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **रूपये 1691.75 लाख (रूपए सोलह करोड़ इक्यानबे लाख पचहत्तर हजार मात्र)** (केन्द्रांश+ राज्यांश+सेन्टेज) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों, प्रतिबन्धों एवं विवरण के अनुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रूपये लाख में)

परियोजना का नाम	मूल्यांकित लागत पर निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	मूल्यांकित लागत में सेन्टेज की धनराशि	कार्य लागत (2-3)	लागत में सम्मिलित केन्द्रांश (कार्य लागत का 33.33 प्रतिशत)	लागत में सम्मिलित राज्यांश (कार्य लागत का 46.67 प्रतिशत)	लागत में सम्मिलित निकाय अंश (कार्य लागत का 20 प्रतिशत)	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही केन्द्रांश	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही राज्यांश	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त हेतु प्रस्तावित सेन्टेज	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही कुल धनराशि (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अमृत-2.0 योजनान्तर्गत जनपद-मुरादाबाद में नगर निगम मुरादाबाद पेयजल पुनर्गठन योजना से संबंधित परियोजना	10343.38	920.65	9422.73	3140.59	4397.59	1884.55	628.11	879.51	184.13	1691.75

- (1) अवमुक्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि का वहन स्टेट मिशन डायरेक्टर (अमृत-2.0 योजना) के पदनाम से खुले राष्ट्रीयकृत बैंक में स्टेट नोडल खाते में जमा की गयी धनराशि से किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि आवश्यकतानुसार अमृत-2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय की जायेगी।
- (2) योजना के निर्गत मानकों के अनुसार 75 प्रतिशत की धनराशि का व्यय होने पर द्वितीय किश्त की धनराशि एवं इसी प्रकार तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त कराने के संबंध में मिशन निदेशक(अमृत-2.0) द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-45/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून,2022 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

- (3) अवमुक्त सेन्टेज की धनराशि कार्यदायी संस्था को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष समानुपातिक रूप से भुगतान की जायेगी।
- (4) अमृत-2.0 के अंतर्गत यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (6) प्रायोजना के क्रियान्वयन में एसएलटीसी एवं एसएचपीएससी द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (8) निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जायेगा तथा निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा, जिससे कास्ट ओवर रन, टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
- (9) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तदनुसार प्रस्तावित प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्य के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विगति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (11) उक्त परियोजना लागत में सम्मिलित निकाय अंश की धनराशि संबंधित निकाय द्वारा वहन की जायेगी तथा इसकी उपलब्धता प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जायेगी, जिससे निकाय अंश के अभाव में परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े एवं टाइम एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना से बचा जा सके।
- (12) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयबद्ध रूप से भारत सरकार, राज्य सरकार एवं महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (13) परियोजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के लेखे का विवरण राज्य मिशन निदेशक(अमृत-2.0), नगरीय निकाय, निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा रखा जाय।
- (14) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (15) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (16) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (17) 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगा कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (18) गुणवत्ता तथा मानक के अनुसार कार्य का उत्तरदायित्व प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ का होगा।

2- इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- संख्या-13/2022/बी-1-45/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 व अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर द्वारा जनित संख्या- E-9-301-X-2022-23, दिनांक 27 जनवरी, 2023 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
01.02.2025

( कल्याण बनर्जी )  
संयुक्त सचिव।

ई-ऑफिस फाइल नम्बर- 9-5002(002)/96/2022

**प्रतिलिपि:** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 4- निदेशक (अमृत-2.0), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 6- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ
- 7- जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद ।
- 10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 11- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 12- नगरआयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद।
- 13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 14- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,  
01.02.2023  
( कल्याण बनर्जी )  
संयुक्त सचिव।